संख्या–3683 / 26–3–2010–10(28) / 99

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांकः 2 नवम्बर, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं में वेतन के अवशेषों के भुगतान हेतु की गयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्रांक–1700–01 / स0क0 / लेखा–बजट / एरियर / 2010–11, दिनांक 5–10– 2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–1183 / 26–3–2009–10(28) / 99, दिनांक 31–3–2009 तथा शासनादेश संख्या–3783 / 26–3–2009–10(28) / 99, दिनांक 24–11–2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस– 2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन के अवशेषों के भुगतान हेतु नीचे दिये गये बजट प्राविधान रू0 1454.81 लाख के सापेक्ष संलग्नक में मूल आय– व्ययक में दी गयी योजनावार विवरण के अनुसार कुल रू0 957.82 लाख (रूपये नौ करोड़ सत्तावन लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त / स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–80–आयोजनेत्तर– (हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक / योजना / मद का नाम	आय व्ययक प्राविधान 2010–11	अवमुक्त / स्वीकृत की जा रही धनराशि
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर– 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 800–अन्य व्यय– 03–अवशेषों का भुगतान– 01–वेतन–	145481	95782

(रूपये नौ करोड़ सत्तावन लाख बयासी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आवंटन / व्यय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–951 / दस– 2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

– – 2

राकेश जी0ओ0

(2) उपर्युक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन/व्यय वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत किये गये वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा छठे वेतन आयोग के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि छठे वेतन आयोग में दिये गये वेतनमानों के अनुसार पुनरीक्षण कर दिया गया है।

(3) योजनावार आवंटन/व्यय इस प्रकार करेंगे कि अनुदान के अंतर्गत किसी भी योजना में धनराशि कम न हो। अवशेष बची धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित करेंगे।

2– उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–03–अवशेषों का भुगतान–01–वेतन– के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–3683 (1)/26–3–2010 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
5– राज्य योजना आयोग अनु0–1/2
6– निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7– सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
8– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

राकेश जी0ओ0

शासनादेश सं0–3683 / 26–3–2010–10(28) / 99, दिनांक नवम्बर, 2010 का संलग्नक

अनुदान संख्या–80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक / योजना / मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2010–2011
राजस्व लेखा 2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेतर– 01– अनुसूचित जातियों का कल्याण– 001– निदेशन तथा प्रशासन– 03– मुख्यालय अधिष्ठान– 01–वेतन–	8918
04–मण्डलीय कार्यालयों का अधिष्ठान– 01–वेतन	5444
05–जिला कार्यालयों का अधिष्ठान 01–वेतन	33454
योग–001–	47816
102– आर्थिक विकास– 03– औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना – 01–वेतन	932
योग–102	932
277–शिक्षा 03–औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन– 01–वेतन	6208
04–अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास 01–वेतन	10416
09–ज्योतिवाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय– 01–वेतन	10852
13–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना– 01–वेतन	678
योग–277	28154

राकेश जी0ओ0

80–सामान्य– 800–अन्य व्यय– 03–शैक्षिक कार्यक्रम– 0301–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन– 01–वेतन	8748
05–आर्थिक उत्थान 0501–राजकीय उन्नयन बस्तियों का अनुरक्षण– 01–वेतन	1806
0503–विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र – 01–वेतन	254
योग–800–	10808
योग–2225–	87710
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण– आयोजनेतर– 02–समाज कल्याण 104–वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण– 03–वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियोंके लिए आवासिक गृह– 01–वेतन	480
04–भिक्षावृत्ति का निवारण– 01–वेतन	4516
योग–104	4996
800–अन्य व्यय– 03–आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था– 01–वेतन	254
योग–800–03	254
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम– 102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन– 03–वृद्धावस्था/किसान पेंशन– 0301–अधिष्ठान– 01–वेतन	2822
योग–102–0301–	2822
योग–2235	8072
योग–2225+2235–	95782

(रूपये नौ करोड़ सत्तावन लाख बयासी हजार मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

राकेश जी०ओ०